पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

अपीलीय सिविल

(अजीत सिंह बैंस और एसपी गोयल से पहले, जेजे।

हरियाणा राज्य, ... अपीलार्थी;

बनाम

पूसा राम आदि, उत्तरदाताओं।

1972 के आदेश संख्या 3 से पहली अपील

22 सितंबर, 1977 को हुआ फैसला

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) - धारा** 110 **और 110 (ए) - संपत्ति को नुकसान के लिए मुआवजे का दावा - दावेदार को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंची - इस तरह का दावा - क्या ट्रिब्यूनल द्वारा विचार किया जा सकता है।

आयोजित:

मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 110 (1) को पढ़ने से पता चलता है कि ट्रिब्यूनल अब व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी भी संपत्ति या दोनों को नुकसान से जुड़े मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। शब्द 'चोट' बहुत व्यापक आयाम का एक शब्द है और इसमें शारीरिक चोट और संपत्ति की चोट दोनों शामिल हैं। 'चोट' शब्द का अर्थ है, "किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा की गई क्षति या चोट पहुंचाना" और जिस व्यक्ति की संपत्ति मोटर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है, वह व्यक्ति होगा जिसे अधिनियम की धारा 110 (ए) के खंड (1) (ए) के अर्थ के भीतर चोट लगी है। इसलिए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दावा ट्रिब्यूनल के संज्ञान में है।

(पैरा 5)

श्री आरएल गर्ग (अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश), मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हिसार के 5 अक्टूबर, 1971 के आदेश से पहली अपील में *याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया।*

दावा: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत याचिका।

अपील में दावा: ट्रिब्यूनल के आदेश को पलटने के लिए।

ज्ञानसिंह, वकील, अपीलकर्ताओं के लिए।

वी.पी. गांधी। वकील, प्रतिवादी के लिए

निर्णय

एस.पी. गोपाल, न्यानमूर्ति.- 5 अक्टूबर, 1971 के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हिसार (इसके बाद ट्रिब्यूनल के रूप में संदर्भित) के आदेश से यह अपील कानून के एक दिलचस्प बिंदु को उठाती है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110 (1) के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा संपत्ति को नुकसान के लिए मुआवजे के दावे पर विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है

(2) अपीलकर्ता-हरियाणा राज्य-ने ट्रिब्यूनल के समक्ष रुपये की राशि के लिए दावा आवेदन प्रस्तुत किया। 17 सितंबर, 1970 को दुली चंद के ड्राइवर द्वारा ट्रक नंबर HRH-7467 को

तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण राज्य के स्वामित्व वाले प्रोजेनी टेस्टिंग फार्म, हिसार की पांच भैंसों की मौत के आरोप पर मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये दिए गए।

(3) इस दावे का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया था, जिन्होंने प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई थी कि ट्रिब्यूनल के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। *श्रीमती जसवंत कौर और अन्य* पर भरोसा करना। *श्री हैती राम और अन्य* [(1).] ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों की याचिका को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया। इस आदेश की शुद्धता को इस अपील में चुनौती दी गई है।

(4) प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री वीपी गांधी इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि *श्रीमती जसवंत कौर के मामले* (सुप्रा) में निर्धारित प्रस्ताव 1969 के संशोधन अधिनियम संख्या 56 द्वारा धारा 110 में लाए गए संशोधन के कारण अब कोई आधार नहीं रखता है। हालांकि, उन्होंने एक अन्य आधार पर ट्रिब्यूनल के आदेश को बनाए रखने की मांग की कि कोई भी दावा आवेदन किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा सक्षम नहीं है, जिसे कोई शारीरिक चोट नहीं लगी है। इस तर्क को साबित करने के लिए, विद्वान वकील ने धारा 110-ए (1) के प्रावधानों का हवाला दिया और तर्क दिया कि उप-खंड (ए) के तहत, जिसे वर्तमान मामले में संभवतः लागू किया जा सकता है, दावा आवेदन केवल उस व्यक्ति द्वारा सक्षम है जिसे शारीरिक चोट लगी है। विद्वान वकील का तर्क यह प्रतीत होता है कि उप-खंड (ए) में "चोट" शब्द का अर्थ केवल शारीरिक चोट है और जब तक कि संपत्ति के नुकसान का दावा करने वाले व्यक्ति को दुर्घटना में शारीरिक चोट भी नहीं लगी है, तब तक ऐसा कोई दावा सुनवाई योग्य नहीं होगा। अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने *परसुभाई अल्तापभाई सैयद और अन्य* पर भरोसा किया । *दुल्लभभाई भागाभाई पटेल* [(2)] और *बी.एस. बचन सिंह और, अन्य* [(3)]। *परसुभाई के मामले* (सुप्रा) में, धारा 110-ए (1) के प्रावधानों की व्याख्या वर्ष 1969 में धारा 110 के संशोधन से पहले की गई थी। धारा 110 (1) और 110-ए (1) के संयुक्त पठन पर, यह माना

गया कि ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन केवल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे शारीरिक चोट लगी है और दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को ऐसा आवेदन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। वर्ष 1969 में संशोधन से पहले, ट्रिब्यूनल के पास केवल मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने का अधिकार था और यह केवल 1969 के संशोधन अधिनियम संख्या 56 द्वारा था कि किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान का सम्मान करने वाले दावों को ट्रिब्यूनल द्वारा सुनवाई योग्य बनाया गया था। इसलिए धारा 110 (1) और धारा 110-ए) (1) के संयुक्त पठन पर इस संशोधन से पहले दिया गया यह निर्णय धारा 110-ए के खंड (1) के प्रावधानों की व्याख्या में बहुत मदद नहीं करता है। जहां तक *बी.एस.नट के मामले* (सुप्रा) का संबंध है, विद्वान वकील द्वारा जिन बातों पर भरोसा किया गया था, वे सी.जी. सूरी, जे. की कुछ *अस्पष्ट* टिप्पणियां थीं, जिनके अनुसार धारा 110 में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ संबंधित संशोधन धारा 110 ए (1) के खंडों में किए जाने चाहिए थे, जो अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों की एक विस्तृत सूची देने वाले हैं। विद्वान न्यायाधीश की इन टिप्पणियों को शायद ही धारा 110-ए (1) के प्रावधानों की व्याख्या पर राय की कोई अभिव्यक्ति कहा जा सकता है और इसलिए, कोई मदद नहीं करता है।

(5) आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि धारा 110 (1) के प्रावधानों में संशोधन किया गया था ताकि ट्रिब्यूनल को संपत्ति के नुकसान के संबंध में दावों का फैसला करने के लिए अधिकृत किया जा सके, फिर भी धारा 110 (ए) की उप-धारा (1) (ए) में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि विधायिका का उद्देश्य ट्रिब्यूनल को केवल शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान के समग्र दावों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत करना था, न कि बाद के दावों पर। हम तर्क की सरलता की काफी सराहना करते हैं लेकिन इसमें कोई आधार नहीं पाते हैं। संशोधित धारा 110 (1) को पढ़ने से पता चलता है कि 'ट्रिब्यूनल अब व्यक्तियों

की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी भी संपत्ति या दोनों को नुकसान से जुड़े दावों या मुआवजे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। इसलिए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दावा ट्रिब्यूनल के संज्ञान में है। विधायिका ने शायद धारा 110 (ए) में कोई संबंधित संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि चोट शब्द बहुत व्यापक आयाम का शब्द है और इसमें शारीरिक चोट और संपत्ति की चोट दोनों शामिल हैं। शब्द के शब्दकोश अर्थ के अनुसार, "चोट" का अर्थ है, "किसी व्यक्ति या चीज़ द्वारा की गई या चोट पहुंचाना"। इसलिए, एक सामान्य शब्द के रूप में, इसका अर्थ है, किसी भी प्रकार की चोट चाहे किसी व्यक्ति या वस्तु को हुई हो और जिस व्यक्ति की संपत्ति मोटर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है, वह व्यक्ति होगा जिसने अधिनियम की धारा 110-ए के खंड (1) (ए) के अर्थ के भीतर चोट पहुंचाई है।

(6) अधिनियम की धारा 110-एफ स्पष्ट रूप से सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को उन दावों पर विचार करने से रोकती है जिन पर ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित संशोधन के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा 2,000 रुपये तक की संपत्ति के नुकसान के दावे को स्पष्ट रूप से सुनवाई योग्य बना दिया गया है। दो धाराओं - धारा 110 (1) और धारा 110-एफ के प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव यह है कि 2,000 रुपये तक की संपत्ति के नुकसान के लिए दावा ट्रिब्यूनल द्वारा दंडनीय है और सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। यदि विद्वान वकील की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि ऊपर उल्लिखित सीमा तक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दावा ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट द्वारा विचार योग्य नहीं होगा यदि दावेदार को शारीरिक चोट भी नहीं लगी है। इस तरह की असंगत स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही विधायिका को इस तरह के इरादे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(7) अधिनियम की धारा 110 (1) में किए गए संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न संपत्ति को नुकसान के दावों के निपटान के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान

करना था। यह संविधियों की व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां न्यायालय को एक व्यापक अर्थ के बीच एक विकल्प का सामना करना पड़ता है जो विधायिका का उद्देश्य प्रतीत होता है, और एक संकीर्ण अर्थ जो इसे कम पूरी तरह से या बिल्कुल भी नहीं करता है, वह अक्सर पूर्व को चुनेगा। इस संबंध में संदर्भ *Nokes* v को दिया जा सकता है। *डॉन कास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज लिमिटेड*[(4)] जहां विस्काउंट साइमन एल.सी. ने देखा:

"यदि विकल्प दो व्याख्याओं के बीच है, जिनमें से संकीर्ण विधायिका के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा, तो हमें एक ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को निरर्थक बना देगा और इसके बजाय इस दृष्टिकोण के आधार पर साहसी निर्माण को स्वीकार करना चाहिए कि संसद केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्यों के लिए कानून बनाएगी।

विधायिका की मंशा को ध्यान में रखते हुए, धारा के खंड (1) (ए) में "चोट" शब्द को व्यापक अर्थ देना उचित होगा; धारा 110-ए ताकि संपत्ति को नुकसान भी शामिल हो। *रतन सिंह करसनभाई नकुम* बनाम गुजरात उच्च न्यायालय मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले से हम अपने विचार का समर्थन करते हैं। *इसादखान गुलाम खान और अन्य* [(5]) जहां देसाई, जे ने *परसुभाई* के *मामले* (सुप्रा) में टिप्पणियों को देखने के बाद कहा कि:

पीठ ने कहा, 'ये टिप्पणियां धारा 110 (1) के संदर्भ में की गई थीं, क्योंकि यह उस समय मौजूद थी. वास्तव में, उपरोक्त निष्कर्ष विद्वान न्यायाधीश द्वारा धारा 110 (1) और धारा 110-ए के संयुक्त पठन पर निकाला गया था। हम संशोधन के बाद भी यही दृष्टिकोण अपना सकते हैं और संशोधित धारा 110(1) और 110-ए के संयुक्त अध्ययन द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रश्न को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि, संशोधित धारा 110 (1) के मद्देनजर, तीसरा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से घायल नहीं है या जिसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, वह वह व्यक्ति है जिसे

धारा एचओ-ए (ए) के खंड (ए) द्वारा विचार की गई चोट (जरूरी नहीं कि शारीरिक चोट) लगी हो।

इसी तरह, *श्यामबिहारी* बनाम भारत *शिव सिंह और एक अन्य* ([6]) सोहानी, जूस्टिस, जिनके सामने *बीएस नट के मामले* (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था , ने कहा कि यह मामला स्पष्ट रूप से अलग था और इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं था कि अधिनियम की धारा 110 में किए गए संशोधन के बावजूद, "चोट" शब्द को प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि 1969 के अधिनियम संख्या 56 द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों के संदर्भ में "चोट" शब्द में व्यक्ति की संपत्ति को चोट पहुंचाना भी शामिल होगा।

(8) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस अपील को स्वीकार किया जाता है, ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए वापस भेज दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

ए एस बैंस, न्यायमूर्ति- मैं सहमत हूं।

एच.एस.बी.

---

(1) 1970 पी.एल.आर. 932.

(2) 1973 ए.सी.जे.

(3) 1971 ए.जी.जे.

(4) (1940) एजी 1014।

(5) 1975 ए.सी.जे.

(6) 1976 ए.सी.जे.

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा